न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती दीप्ति शर्मा आर0ए0एस0

सप्लाई विविध संख्या 09/2023 (2023/32)

प्रार्थी :–

पुष्पराज पालीवाल प्रर्वतन अधिकारी जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–

रामकिशोर पुत्र बंकटलाल, जाति सोनी, निवासी 270 दिलीप नगर, लाल सागर जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :–

अधिवक्ता श्री राजेश राठी (अप्रार्थी संख्या 01)

–: आदेश :– दिनांक :– 29.04.2024

श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक/कोर्ट/डीएम/23/497 दिनांक 14.02.2023 की अनुपालना में इस्तगासा सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। संक्षिप्त में इस्तगासा के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पुष्पराज पालीवाल, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी रामकिशोर पुत्र श्री बंकटलाल जाति सोनी निवासी 270 दिलीपनगर, लालसागर, जोधपुर के पेश करते हुए जाहिर किया कि दिनांक 09.02.2023 को रात्रि में पुलिस थाना मण्डोर द्वारा नौ मील (नागोर रोड़) स्थित एक गोदाम को अवैद्य सिलेण्डरों के भण्डारण पर सील किया गया, जिस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु बुलवाने पर नौ मील स्थित उक्त गोदाम की जांच दिनांक 10.02.2023 को की गई। मौके पर उक्त गोदाम का ताला खुलवाने पर वहां 17 गैस सिलेण्डर एक इलेक्ट्रिक कांटा व एक रिफिलिंग रिफिल पाई गई जिसमें से 06 व्यवसायिक व 11 घरेलु सिलेण्डर थे। मौके पर उक्त सिलेण्डरों के कोई वैद्य कागजात प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:22:08 IST
Reason: SelfAttested

नहीं किये गये एवं इन सिलेण्डरों का अवैद्य भण्डारण व अवैद्य उपयोग किया जा रहा था। मौके से 17 गैस सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रिक कांटा व एक रिफिलिंग रिफिल को अवैद्य भण्डारण व अवैद्य उपयोग किये जाने से जब्त किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्रम संख्या	सिलेण्डर का एस. आर. क्रमांक	सरकारी तेल कम्पनी का नाम	खाली सिलेण्डर का उपदर्शित भार/टैयर वेट किग्रा में	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्रा में	शुद्ध गैस का भार (किग्रा में)
1.	115645	इण्डेन	19.200	35.400	16.200
2.	24503	इण्डेन	19.00	35.300	16.300
3.	36230 एफ	इण्डेन	19.300	19.300	–
4.	स्पष्ट नहीं	एच0 पी0	19.200	37.200	18.00
5.	009594	भारत गैस	20.600	36.00	16.00
6.	005247	भारत गैस	19.200	37.400	18.200
7.	939129एस	भारत गैस	15.600	15.600	–
8.	562556टी	भारत गैस	15.600	15.600	–
9.	323613एस	भारत गैस	15.800	15.800	–
10.	088927	भारत गैस	16.100	20.200	4.100
11.	635043	भारत गैस	17.300	28.300	11.00
12.	303180एस	भारत गैस	15.600	15.600	–
13.	047702जे	भारत गैस	15.500	27.800	12.300
14.	810210एस	इण्डेन	16.200	27.800	11.600
15.	50890टी	इण्डेन	16.400	28.100	11.700
16.	244527ई	इण्डेन	16.00	28.00	12.00
17.	024512एस	एच0 पी0	16.00	28.00	12.00

उपरोक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का अवैद्य भण्डारण व अवैद्य उपयोग करना द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा 17 गैस सिलेण्डर, एक

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:22:08 IST
Reason: SelfAttested

इलेक्ट्रिक कांटा व एक रिफिलिंग रिफिल को राजसात करने एवं गैस सिलेण्डरों में प्रयुक्त एल.पी.जी. गैस का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश राठी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 24.04.2024 को जवाब पेश किया गया। पत्रावली दिनांक 29.04.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने लिखित जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर बतलाया कि अप्रार्थी किराणे का व्यापारी है एवं 09 मील पर किराणे की दुकान चलाता है। अप्रार्थी के गोदाम से जब्तशुदा गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के स्वामित्व के नहीं थे बल्कि उक्त समस्त गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के रिश्तेदार के थे जिनके घर में विवाह समारोह था। अप्रार्थी द्वारा केवल अपने गोदाम में इसलिये रखा गया था कि उन्हे किराणे के सामान के साथ टैक्सी में भरकर विवाह समारोह तक ले जाया जा सके।

अप्रार्थी किराणे का व्यापारी होने से उसके गोदाम में जब्तशुदा इलेक्ट्रिक कांटा रखा गया था जो रोजमर्रा के व्यापार में आवश्यक वस्तु है। उक्त कांटे का गैस सिलेण्डर के साथ कोई लेना–देना नहीं है।

अप्रार्थी एक व्यापारी है जो सरल एवं सीधे स्वभाव का है। अप्रार्थी द्वारा कोई अवैद्य कार्य नहीं किया गया है। उपरोक्त अनुवान का मुकदमा अप्रार्थी के विरूद्व गलत तथ्यों के आधारित बनाया गया है। अप्रार्थी का उक्त गैस सिलेण्डर से कोई लेना–देना नहीं है। जबाव के अन्त में इस्तगासे को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली एवं अप्रार्थी अधिवक्ता के जबाव का अवलोकन किया। प्रथमतः प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि मौके पर गैस सिलेण्डरों के साथ–साथ एक ईलेक्ट्रिानिक कांटा व एक रिफिलिंग रिफिल भी पाई गई तथा मौके पर उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों के कोई वैद्य कागजात पेश नहीं किये गये है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर से अन्य सिलेण्डर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:22:08 IST
Reason: SelfAttested

गैस भरने का कृत्य एवं अवैध सिलेण्डर संग्रहीत रखने व उनका अवैद्य उपयोग करने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 4 (a)(b) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6(ए) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तसुदा गैस सिलेण्डर मय गैस को राज्यसात (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त गैस सिलेण्डर को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उससे प्राप्त राशि निर्धारित मद में राजकोष में जमा करायी जावे तथा प्रकरण में जब्तशुदा एक इलेक्ट्रोनिक कांटा व 01 गैस भरने की रिफिलिंग रिफिल को नीलामी के माध्यम से बेचकर इससे प्राप्त राशि को निर्धारित मद में राजकोष में जमा करावें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

(दीप्ति शर्मा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 29.04.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दीप्ति शर्मा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:22:08 IST
Reason: SelfAttested